



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JUNE 9, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. भारत-न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंध और हिंद-प्रशांत भू-राजनीति (India-New Zealand Bilateral Relations and the Indo-Pacific Geopolitics)	3
2. भारत के कच्चे तेल के आयात की बदलती गतिशीलता (Shifting Dynamics of India's Crude Oil Imports)	4
3. इस्लाम धर्म अपनाने वाले धार्मिक धर्मांतरितों की आरक्षण स्थिति (Reservation Status of Religious Converts to Islam)	5
4. मरेगा (MGNREGS) को VB-G RAM G से बदलने के वित्तीय निहितार्थ (Financial Implications of Replacing MGNREGS with VB-G RAM G)	7
5. भारत-इंडोनेशिया रणनीतिक समझौता: अस्त्र मिसाइल निर्यात और भू-राजनीतिक निहितार्थ (India-Indonesia Strategic Pact: Astra Missile Export and Geopolitical Implications)	8
6. पश्चिम एशियाई भू-राजनीति और ईरान का पुनरुत्थान (West Asian Geopolitics and the Resurgence of Iran)	10
7. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी: जनसांख्यिकीय बदलाव और रणनीतिक व्यावहारिकता (Indian Diaspora in Australia: Demographic Shifts and Strategic Pragmatism)	11
8. भारत के कल्याणकारी ढांचे में राजकोषीय विषमता (Fiscal Asymmetry in India's Welfare Architecture)	13
9. भारत में भूल जाने के अधिकार का न्यायशास्त्र (Jurisprudence of the Right to Be Forgotten in India)	14
10. बाह्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, युद्ध अपराधों के आरोप और 'हयुमस ट्रेल' (Extraterritorial Jurisdiction, War Crimes Allegations, and the 'Hummus Trail')	16
11. भारत-इंडोनेशिया संयुक्त सांस्कृतिक विरासत बहाली परियोजना (India-Indonesia Joint Cultural Heritage Restoration Project)	17
12. अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) रिपोर्ट विश्लेषण (All India Survey on Higher Education (AISHE) Report Analysis)	19

1. भारत-न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंध और हिंद-प्रशांत भू-राजनीति (India-New Zealand Bilateral Relations and the Indo-Pacific Geopolitics)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- ऐतिहासिक राजनयिक यात्रा:** भारत के प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा पिछले चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, जो द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने में एक बड़े महत्वपूर्ण मोड़ को रेखांकित करती है।
- सहयोग के मुख्य स्तंभ:** यह द्विपक्षीय जुड़ाव तीन आवश्यक मूलभूत स्तंभों के इर्द-गिर्द केंद्रित है: आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध (people-to-people relations)।
- नियम-आधारित से शक्ति-आधारित व्यवस्था में बदलाव:** वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य एक "परिवर्तन बिंदु" (inflection point) का गवाह बन रहा है, जो तेजी से एक स्थिर नियम-आधारित व्यवस्था (rules-based system) से आक्रामक शक्ति-आधारित व्यवस्था (power-based system) की ओर बढ़ रहा है।
- बहुध्रुवीयता की ओर संक्रमण:** अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पारंपरिक बहुपक्षीय प्रणालियों से एक जटिल बहुध्रुवीय (multipolar) गतिशीलता की ओर तेजी से विकसित हो रही है।
- क्षेत्रीय रणनीतिक चुनौतियाँ:** प्रमुख लोकतांत्रिक भागीदार देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के साथ-साथ अमेरिका की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति जैसी अलगाववादी प्रवृत्तियों का सामना कर रहे हैं।
- संप्रभु अखंडता को बनाए रखना:** संयुक्त रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य संप्रभु सीमाओं के अवैध उल्लंघन के खिलाफ खड़ा होना है, जिसमें यूक्रेन पर रूस के आक्रमण जैसी व्यापक सुरक्षा कार्रवाइयों का संदर्भ शामिल है।

आवश्यक परिभाषाएँ (Essential Definitions)

- नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था (Rules-Based International Order):** संप्रभु राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को केवल शक्ति के बल पर चलाने के बजाय स्थापित कानूनी ढाँचे, वैश्विक संधियों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के अनुसार संचालित करने की एक साझा प्रतिबद्धता।
- बहुध्रुवीयता (Multipolarity):** वैश्विक शक्ति का ऐसा वितरण जिसमें दो से अधिक राष्ट्र-राज्य वैश्विक या क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण संरचनात्मक आर्थिक, सैन्य और राजनयिक प्रभाव रखते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के हिस्से के रूप में, अनुच्छेद 51 स्पष्ट रूप से राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का आदेश देता है।
- समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS):** हिंद-प्रशांत समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एक बुनियादी कानूनी दस्तावेज, जो क्षेत्रीय विस्तारवाद के खिलाफ नौवहन की स्वतंत्रता के संरक्षण और समुद्री सीमाओं के कानूनी निपटान की रूपरेखा तैयार करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुनर्जीवित सहयोग टूटती वैश्विक शासन व्यवस्था के बीच नियम-आधारित प्रणाली की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास का संकेत देता है। आर्थिक, रक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करके, दोनों देश अत्यधिक गतिशील, बहुध्रुवीय हिंद-प्रशांत परिदृश्य के भीतर एक स्थिरता प्रदान करने वाले आधार के रूप में स्थापित हो रहे हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- मुख्य विषय:** हिंद-प्रशांत समुद्री रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून का शासन, और बहुपक्षीय संगठनों की बदलती गतिशीलता।

2. भारत के कच्चे तेल के आयात की बदलती गतिशीलता (Shifting Dynamics of India's Crude Oil Imports)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- रूसी आयात हिस्सेदारी में उछाल:** मई 2026 में भारत के कच्चे तेल के आयात में रूस की हिस्सेदारी 40% को पार कर गई, जो लगभग दो वर्षों में इसका उच्चतम स्तर है।
- रूसी छूट का समाप्त होना:** जहाँ रूस ने फरवरी तक रियायती दरों पर कच्चा तेल दिया था, वहीं मई 2026 तक उसने तेल की खेप पर भारत से प्रीमियम (अतिरिक्त शुल्क) वसूलना शुरू कर दिया।
- प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक मूल्य निर्धारण:** इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सहित पारंपरिक और नए आपूर्ति स्रोतों ने भारत को औसत से कम कीमतों पर तेल बेचा।
- रणनीतिक ऊर्जा विविधीकरण:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए अपने तेल आयात बास्केट का सक्रिय रूप से विस्तार कर रहा है।
- प्रतिबंधित चैनलों की बहाली:** प्रतिबंधों में ढील के बाद भारत ने अप्रैल और मई 2026 में ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात फिर से शुरू किया, विशेष रूप से फरवरी में वेनेजुएला के निर्यात को अमेरिकी अनुमति मिलने के बाद।
- मैक्रोइकोनॉमिक (समष्टि आर्थिक) संतुलन:** यह संरचनात्मक बदलाव घरेलू मुद्रास्फीति के दबावों, व्यापार घाटे के प्रबंधन और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के बीच भारत के संतुलनकारी प्रयास को उजागर करता है।

आवश्यक परिभाषाएँ (Essential Definitions)

- रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):** अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक ऐसा दृष्टिकोण जहाँ कोई राष्ट्र प्रमुख वैश्विक शक्तियों पर निर्भर हुए या उनके दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों और स्वतंत्र विदेश नीति के निर्णयों को आगे बढ़ाता है।
- प्रीमियम मूल्य निर्धारण (Premium Pricing):** एक ऐसा बाजार परिदृश्य जहाँ उच्च मांग, विशिष्ट आपूर्ति समझौतों या रसद संबंधी बाधाओं के कारण किसी विशेष वस्तु या व्यापारिक वस्तु की कीमत प्रचलित वैश्विक बेंचमार्क या औसत बाजार दर से अधिक होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 73:** संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उन मामलों तक करता है जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है, जिससे केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, संधियों और विदेशी मामलों पर संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है।
- संघ सूची (सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टि 57 और 83:** यह "विदेशी मामलों" और "निर्यात शुल्कों सहित सीमा शुल्कों" पर संसदीय क्षेत्राधिकार को निर्देशित करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयात और सीमा शुल्क टैरिफ को विनियमित करने के लिए वैधानिक आधार प्रदान करती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत की कच्चे तेल की सोर्सिंग रणनीति का विकास एक लचीले ऊर्जा कूटनीति ढाँचे को रेखांकित करता है। रूसी छूट के समाप्त होने का सामना करते हुए, भारत का वेनेजुएला, ईरान और पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं की ओर तुरंत रुख करना वैश्विक मंच पर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखते हुए लागत प्रभावी ऊर्जा भंडार सुरक्षित करने की उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव; प्रवासी भारतीय और ऊर्जा सुरक्षा।
- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III (आर्थिक विकास):** बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा; संसाधनों का जुटाना; विकास, प्रगति और व्यापक आर्थिक स्थिरता (मैक्रो-स्टेबिलिटी)।

3. इस्लाम धर्म अपनाने वाले धार्मिक धर्मांतरितों की आरक्षण स्थिति (Reservation Status of Religious Converts to Islam)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- सर्वोच्च न्यायालय में अपील:** तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) दायर की है, जिसने इस्लाम धर्म अपनाने वाले लोगों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम (BCM) आरक्षण लाभ का दावा करने से रोक दिया था।

- कार्यकारी नीति को रद्द करना:** उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के मार्च 2024 के एक आदेश (GO) को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसने BC, MBC, DNC या अनुसूचित जाति (SC) पृष्ठभूमि से धर्मांतरित लोगों को BC (मुस्लिम) के रूप में माने जाने की अनुमति दी थी।
- न्यायिक मिसाल को बरकरार रखा गया:** खंडपीठ ने टिप्पणी की कि कोई कार्यकारी अधिसूचना उन बाध्यकारी न्यायिक मिसालों (न्यायिक निर्णयों) को खारिज नहीं कर सकती जो यह स्थापित करती हैं कि इस्लाम में परिवर्तित होने वाला व्यक्ति जातिगत स्थिति को आगे बढ़ाए बिना "सिर्फ एक मुसलमान" बन जाता है।
- धार्मिक और सामाजिक तर्क:** उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि क्योंकि इस्लामी और ईसाई प्रचारकों ने ऐतिहासिक रूप से पूर्ण सामाजिक समानता के सिद्धांतों पर प्रचार किया था, इसलिए धर्मांतरण के बाद आरक्षण के लाभों के लिए जाति पदानुक्रम (caste hierarchy) का दावा करना भ्रामक है।
- जन्म-आधारित सदस्यता:** फैसले में इस बात पर रेखांकित किया गया कि राज्य में विशिष्ट, अधिसूचित मुस्लिम उप-समुदाय, जैसे कि लब्बई संप्रदाय, सख्ती से जन्म-आधारित सामाजिक समूह हैं और केवल धार्मिक धर्मांतरण के माध्यम से इनमें शामिल नहीं हुआ जा सकता है।
- निरंतरता के लिए राज्य का तर्क:** तमिलनाडु सरकार ने 2024 की नीति का इस आधार पर बचाव किया कि धर्मांतरण सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन को तुरंत नहीं मिटाता है, और इस नियम का उद्देश्य मौजूदा सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के अधिकारों की रक्षा करना था।

आवश्यक परिभाषाएँ (Essential Definitions)

- पिछड़ा वर्ग मुस्लिम - बीसीएम (Backward Class Muslim - BCM):** मुस्लिम समुदाय के भीतर ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर और पिछड़े संप्रदायों को विशिष्ट सकारात्मक कार्रवाई लाभ प्रदान करने के लिए आरक्षण ढांचे के भीतर बनाई गई एक अलग श्रेणी।
- विशेष अनुमति याचिका - एसएलपी (Special Leave Petition - SLP):** भारतीय संविधान के तहत एक अपीलीय तंत्र जो सर्वोच्च न्यायालय को देश की किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति देने का अधिकार देता है।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 16(4):** राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है, जिसका राज्य की राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 136:** अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 136 निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

यह विवाद सकारात्मक कार्रवाई की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए राज्य के कार्यकारी उपायों और विशिष्ट धर्मों की सैद्धांतिक समतावादी प्रकृति (theological egalitarianism) के संबंध में न्यायिक व्याख्याओं के बीच एक गहरे कानूनी तनाव को उजागर करता है। सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप इस बात पर अंतिम स्पष्टता प्रदान करेगा कि क्या सामाजिक पिछड़ापन गतिशील रूप से धार्मिक धर्मांतरण से परे भी प्रभावी रह सकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II (शासन व्यवस्था और राजव्यवस्था):** सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-प्रदर्शन।
- मुख्य विषय:** सकारात्मक कार्यवाई (आरक्षण), बुनियादी ढांचा, न्यायिक मिसालों बनाम कार्यकारी आदेशों की सीमाएं, और सामाजिक न्याय नीतियों के साथ मौलिक अधिकारों का अंतर्संबंध।

4. मरेगा (MGNREGS) को VB-G RAM G से बदलने के वित्तीय निहितार्थ (Financial Implications of Replacing MGNREGS with VB-G RAM G)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- नीतिगत बदलाव का विरोध:** हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGS) को समाप्त करना और उसे नए 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन' (VB-G RAM G) से बदलना इस पहाड़ी राज्य के हित में नहीं होगा।
- राज्यों पर वित्तीय बोझ:** जहाँ मनरेगा (MGNREGS) पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित था, वहीं नई प्रस्तावित 'VB-G RAM G' योजना के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय लागत का 10% वहन करना होगा।
- पहाड़ी राज्यों पर दबाव:** यह संरचनात्मक बदलाव हिमाचल प्रदेश के पहले से ही सीमित और दबावयुक्त बजटीय संसाधनों पर एक गंभीर, अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा।
- प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण:** राज्य इस फंडिंग के मुद्दे को केंद्र के साथ उठाने की योजना बना रहा है, और साथ ही प्रभावी ऑनलाइन निगरानी के लिए सभी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के साथ एकीकृत (इंटीग्रेट) कर रहा है।
- मानव संसाधन का अनुकूलन (ऑप्टिमाइज़ेशन):** संरचनात्मक दक्षता में सुधार के लिए, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के भीतर खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है।
- जमीनी स्तर की आजीविका पर ध्यान:** आजीविका को मजबूत करने और पूरे राज्य में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सक्रिय रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

आवश्यक परिभाषाएँ (Essential Definitions)

- केंद्र प्रायोजित योजनाएं - सीएसएस (Centrally Sponsored Schemes - CSS):** केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा एक निश्चित प्रतिशत अनुपात (जैसे, 90:10 या 60:40) के अनुसार संयुक्त रूप से वित्तपोषित योजनाएं, हालांकि इनका कार्यान्वयन पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

- राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism):** केंद्र और घटक राज्य इकाइयों के बीच सरकारी कार्यों और वित्तीय संबंधों, विशेष रूप से राजस्व और व्यय की जिम्मेदारियों के वितरण को विनियमित करने वाला आर्थिक ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 21 और आजीविका का अधिकार:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक रूप से अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' की व्यापक व्याख्या करते हुए इसमें 'आजीविका का अधिकार' भी शामिल किया है, जिसे मनरेगा जैसी वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी योजनाएं ग्रामीण परिवारों के लिए क्रियान्वित करती हैं।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 243G:** ग्रामीण बुनियादी ढांचे और रोजगार कार्यों सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां।

निष्कर्ष (Conclusion)

पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्तपोषित रोजगार मॉडल से 'VB-G RAM G' के तहत सह-वित्तपोषित (co-funded) ढांचे में वित्तीय संक्रमण संसाधन-बाधित राज्यों के लिए स्पष्ट चुनौतियां प्रस्तुत करता है। हिमाचल प्रदेश जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ी राज्यों के लिए, क्षेत्रीय असमानताओं को रोकने और ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा तंत्र की रक्षा के लिए एक संतुलित राजकोषीय संघीय ढांचा अनिवार्य है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II (शासन व्यवस्था और राजव्यवस्था):** संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियाँ; संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं।
- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III (आर्थिक विकास):** रोजगार, समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले विषय; बजट बनाना और वित्तीय संसाधनों का जुटाना।

5. भारत-इंडोनेशिया रणनीतिक समझौता: अस्त्र मिसाइल निर्यात और भू-राजनीतिक

निहितार्थ (India-Indonesia Strategic Pact: Astra Missile Export and Geopolitical Implications)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- ऐतिहासिक रक्षा निर्यात समझौता:** भारत और इंडोनेशिया ने भारत की स्वदेशी 'अस्त्र एमके1' बियॉन्ड-विजुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) की आपूर्ति के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो किसी विदेशी राष्ट्र को इस मिसाइल के पहले निर्यात को चिह्नित करता है।
- अस्त्र एमके1 की क्षमताएं:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित, अस्त्र एमके1 की परिचालन सीमा (रेंज) 80 से 110 किलोमीटर है, यह 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है, और मैक 4.5 की सुपरसोनिक गति से यात्रा करती है।

- एकीकरण और बेड़े को लैस करना:** ये मिसाइलें इंडोनेशिया के सुखोई-30 (Sukhoi-30) लड़ाकू बेड़े को लैस करेंगी, जबकि भारत भविष्य में इसे अपने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस Mk1A और फ्रांसीसी मूल के राफेल जेट के साथ एकीकृत करने की योजना बना रहा है।
- उन्नत स्वदेशी पाइपलाइन:** डीआरडीओ सक्रिय रूप से अस्त्र एमके2 (200 किमी रेंज) और अस्त्र एमके3 (नाम 'गांडीव', 350 किमी से अधिक रेंज) विकसित कर रहा है, जो उड़ान के दौरान निरंतर थ्रस्ट के लिए उन्नत सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) इंजन तकनीक का उपयोग करता है।
- क्षेत्रीय रणनीतिक प्रतिकार (काउंटरवेट):** अस्त्र मिसाइल चीन द्वारा विकसित लंबी दूरी की PL-15 रडार-निर्देशित मिसाइल के खिलाफ भारत के सामरिक प्रतिकार के रूप में कार्य करती है, जो वर्तमान में चीन और पाकिस्तान दोनों द्वारा तैनात है।
- दक्षिण चीन सागर में बढ़ता पदचिह्न:** यह समझौता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात प्रोफाइल को सुदृढ़ करता है, जो इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस के साथ इसके मौजूदा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपूर्ति समझौतों को पूरा करता है।

आवश्यक परिभाषाएँ (Essential Definitions)

- बिगॉन्ड-विजुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल - बीवीआरएएएम (Beyond-Visual-Range Air-to-Air Missile - BVRAAM):** एक हवाई हथियार प्रणाली जो दृश्य संपर्क की आवश्यकता के बिना 20 समुद्री मील (37 किमी) से अधिक की दूरी पर दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है।
- सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट - एसएफडीआर (Solid Fuel Ducted Ramjet - SFDR):** एक उन्नत मिसाइल प्रणोदन (प्रोपल्शन) तकनीक जो उड़ान के दौरान वायुमंडलीय ऑक्सीजन खींचने के लिए ठोस प्रणोदक वाले रैमजेट इंजन का उपयोग करती है, जो पारंपरिक रॉकेट मोटर्स की तरह तेजी से जलकर खत्म होने के बजाय निरंतर थ्रस्ट (प्रणोद) बनाए रखती है।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, जिसे भारत समुद्री पड़ोसियों के साथ विश्वसनीय रक्षा साझेदारी बनाकर आगे बढ़ाता है।
- सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (अवैध गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005:** अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत भारतीय मिसाइल तकनीकों के कड़े अंतिम-उपयोगकर्ता (end-user) की निगरानी और निर्यात नियंत्रण को विनियमित करने वाला व्यापक वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

इंडोनेशिया को अस्त्र एमके1 मिसाइल का निर्यात रक्षा आयात निर्भरता से एक उन्नत प्रौद्योगिकी निर्यातक बनने की ओर एक युगांतरकारी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। आसियान (ASEAN) भागीदारों को स्वदेशी सटीक मारक प्रणालियों से लैस करके, भारत अपनी "मेक इन इंडिया" रक्षा पहल को हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत रणनीतिक स्थिरता कारक में प्रभावी ढंग से बदल रहा है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):** प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना; सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन।

6. पश्चिम एशियाई भू-राजनीति और ईरान का पुनरुत्थान (West Asian Geopolitics and the Resurgence of Iran)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **रणनीतिक भू-राजनीतिक पुनरुत्थान:** अमेरिका और इजरायल के साथ लंबे संघर्षों के बाद, ईरान राष्ट्रीय गौरव, अवज्ञा और लचीलेपन की एक मजबूत छवि प्रदर्शित कर रहा है।
- **द्वितीय क्रांति का उदय:** युद्ध के बाद का परिदृश्य ईरान की 1979 की क्रांति को दर्शाता है, जिसने शासन के आंतरिक अधिकार को मजबूत किया है और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को पूर्ण नियंत्रण में छोड़ दिया है।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में बदलाव:** इस संघर्ष ने खाड़ी में लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी सुरक्षा छत्रछाया को बाधित कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय देश वैकल्पिक कूटनीति की तलाश करने के लिए प्रेरित हुए हैं, जिसमें तेहरान के साथ संभावित सुलह भी शामिल है।
- **आर्थिक सुधार के रास्ते:** आर्थिक प्रतिबंधों में ढील, संपत्तियों को फ्रीज से मुक्त करना (unfreezing assets), और होर्मुज जलडमरूमध्य का रणनीतिक मुद्रीकरण ईरान के घरेलू आर्थिक पुनरुद्धार के लिए एक मजबूत मार्ग प्रदान करते हैं।
- **अपरिवर्तित रणनीतिक संपत्ति:** तीव्र सैन्य दबाव के बावजूद, ईरान के मुख्य बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम उसके अंतर्राष्ट्रीय ज्ञापनों में पूरी तरह से गैर-परक्राम्य (जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता) बने हुए हैं।
- **भारत के लिए कूटनीतिक दोराहा:** हाल ही में इजरायल-अमेरिका-यूएई ब्लॉक की ओर झुकाव दिखाने के बाद, भारत को एक पुनरुत्थानवादी ईरान और एक विभाजित खाड़ी क्षेत्र के साथ अपने राजनयिक और ऊर्जा संबंधों को पुनर्संतुलित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक विकल्प का सामना करना पड़ रहा है।

आवश्यक परिभाषाएँ (Essential Definitions)

- **पश्चिम एशियाई शक्ति संतुलन (West Asian Balance of Power):** प्रमुख क्षेत्रीय अभिनेताओं (मुख्य रूप से ईरान, सऊदी अरब और इजरायल) और बाहरी महाशक्तियों के बीच बदलता भू-राजनीतिक संतुलन, जो व्यापार, सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करता है।
- **चोकपॉइंट्स (सक्रे समुद्री मार्ग) का मुद्रीकरण (Monetization of Chokepoints):** आर्थिक और राजनयिक रियायतें सुरक्षित करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर प्रभाव, पारगमन शुल्क या सुरक्षा नियंत्रण का रणनीतिक उपयोग।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 51:** पश्चिम एशिया में जटिल संबंधों को संतुलित करने के लिए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है।
- समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS):** अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले जलडमरूमध्य के माध्यम से पारगमन अधिकारों को विनियमित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज, जो होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास की विवादित कानूनी गतिशीलता पर सीधे लागू होता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

सैन्य संघर्ष से राजनीतिक पुनरुत्थान की ओर ईरान का संक्रमण पश्चिम एशियाई शक्ति संतुलन में एक स्थायी बदलाव का प्रतीक है। जैसे-जैसे क्षेत्रीय राज्य बाहरी सुरक्षा आश्वासनों पर अपनी निर्भरता पर पुनर्विचार कर रहे हैं, भारत को फारस की खाड़ी में अपने गहरे रणनीतिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए अपनी ऊर्जा कूटनीति और बहु-संरेखित (multi-aligned) विदेश नीति को सावधानीपूर्वक जांचना होगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव; प्रवासी भारतीय; भारत से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक समूह।
- मुख्य विषय:** रणनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा कारक, वैश्विक समुद्री संचार लाइनों (SLOCs) की सुरक्षा, और भारत की पश्चिम एशिया "लुक वेस्ट" (Look West) नीति का ढांचा।

7. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी: जनसांख्यिकीय बदलाव और रणनीतिक व्यावहारिकता (Indian Diaspora in Australia: Demographic Shifts and Strategic Pragmatism)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय मील का पत्थर:** भारतीय प्रवासी समुदाय आधिकारिक तौर पर इंग्लैंड में जन्मे लोगों की आबादी को पीछे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा विदेशी मूल का समुदाय बन गया है। यह ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश-मूल के बहुमत वाले देश में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव प्रस्तुत करता है।
- द्विपक्षीय ढांचे का विकास:** दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध "थ्री सी" (क्रिकेट, करी, कॉमनवेल्थ) के सरल फोकस से आगे बढ़कर एक बहुआयामी "फोर डी" ढांचे में बदल गए हैं: डेमोक्रेसी (लोकतंत्र), डिफेंस (रक्षा), डायस्पोरा (प्रवासी), और दोस्ती।
- विशिष्ट बसावट की दिशा (ट्रैजेक्टरी):** अमेरिका और ब्रिटेन के पुराने प्रवासी समूहों के विपरीत, ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय समुदाय अधिक युवा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा 2014 के बाद वहां गया है। यह हालिया लहर भारत के साथ अत्यधिक सक्रिय आर्थिक, पारिवारिक और राजनीतिक संबंध बनाए रखती है।
- बहुपक्षीय और सुरक्षा संरेखण:** इस क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक और समुद्री आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए 'चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' (Quad) में आपसी जुड़ाव द्वारा हिंद-प्रशांत साझेदारी को दृढ़ता से सुदृढ़ किया गया है।

- घरेलू राजनीतिक विरोध का उभरना:** प्रवासियों की तेजी से बढ़ती दृश्यता और वृद्धि ने ऑस्ट्रेलिया के बदलते घरेलू परिदृश्य के भीतर दक्षिणपंथी लोकलुभावन (राइट-विंग पॉपुलिस्ट) गुटों की ओर से आव्रजन विरोधी (anti-immigration) प्रतिक्रिया को जन्म दिया है।
- साक्ष्य-आधारित जुड़ाव की आवश्यकता:** प्रवासियों को केवल एक लेन-देन के प्रतीक के बजाय एक रणनीतिक गुणक (strategic multiplier) के रूप में उपयोग करने के लिए, नीति निर्माताओं को इस अत्यधिक विविध समुदाय के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जीवन में एकीकृत होने के तौर-तरीकों पर शोध की आवश्यकता है।

आवश्यक परिभाषाएँ (Essential Definitions)

- प्रवासी कूटनीति (Diaspora Diplomacy):** मेजबान देश में अपनी विदेश नीति, आर्थिक हितों और सॉफ्ट पावर (सौम्य शक्ति) के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी राष्ट्र-राज्य द्वारा अपने विदेशी समुदाय के साथ किया जाने वाला रणनीतिक जुड़ाव।
- रणनीतिक व्यावहारिकता (Strategic Pragmatism):** वैचारिक संरेखण या समान घरेलू मूल्यों के बजाय साझा भू-राजनीतिक उद्देश्यों, ठोस राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और व्यापारिक लाभों से प्रेरित एक विदेश नीति दृष्टिकोण।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा, यह राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधि के दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है।
- माइग्रेशन एक्ट 1958 - ऑस्ट्रेलिया (Migration Act 1958):** ऑस्ट्रेलिया में आव्रजन को विनियमित करने वाला वैधानिक कानूनी ढाँचा। 1960 के दशक के उत्तरार्ध और 1970 के दशक में इसके ऐतिहासिक संशोधन ने भेदभावपूर्ण "व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी" (श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति) को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया, जिससे गैर-यूरोपीय पेशेवर प्रवासियों के लिए रास्ते खुल गए।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय प्रवासियों का ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े विदेशी मूल के समुदाय के रूप में परिवर्तित होना हिंद-प्रशांत भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। रणनीतिक व्यावहारिकता, क्वाड (Quad) गठबंधन और महत्वपूर्ण संसाधन समझौतों में द्विपक्षीय संबंधों को स्थापित करके, दोनों देश जनसांख्यिकीय तालमेल को क्षेत्रीय स्थिरता के एक स्थायी धुरी में बदल रहे हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** प्रवासी भारतीय; भारत से जुड़े और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव।
- मुख्य विषय:** हिंद-प्रशांत समुद्री गतिशीलता, सॉफ्ट पावर कूटनीति, प्रवासन (माइग्रेशन) ढाँचा, और क्वाड गठबंधन का संस्थागतकरण।

8. भारत के कल्याणकारी ढांचे में राजकोषीय विषमता (Fiscal Asymmetry in India's Welfare Architecture)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- राज्य के खर्चों की बढ़ती हिस्सेदारी:** जहाँ सामाजिक सेवाओं पर वास्तविक कुल सार्वजनिक व्यय समय के साथ लगातार बढ़ा है, वहीं केंद्र सरकार की हिस्सेदारी स्थिर रही है, जिससे राज्य सरकारों को इस फंडिंग वृद्धि को आगे बढ़ाना पड़ रहा है।
- असमान संसाधन बोझ:** राजकोषीय और कर राजस्व असमान रूप से केंद्र सरकार के पास जमा होता है, फिर भी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण और निष्पादन का परिचालन दायित्व मुख्य रूप से वित्तीय रूप से सीमित राज्यों पर पड़ता है।
- अधिकारों से नकद हस्तांतरण की ओर संक्रमण:** भारत का कल्याणकारी प्रतिमान (पैराडाइम) 2000 के दशक में स्थापित विधायी, अधिकार-आधारित व्यवस्था से हटकर प्रत्यक्ष बिना शर्त नकद हस्तांतरण (डायरेक्ट कैश ट्रांसफर) की ओर बढ़ रहा है, जिसमें राज्य केवल नकद हस्तांतरण पर ₹4.14 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं।
- केंद्रीय फंडिंग अनुपातों का घटना:** पूरी तरह से या उच्च वित्तपोषित केंद्रीय पहलों (जैसे कि मनरेगा का ऐतिहासिक 90:10 अनुपात) से हटकर 'VB-GRAM G' अधिनियम जैसे नए ढांचों की ओर संक्रमण राज्यों के लिए वित्तीय सह-वित्तपोषण (co-funding) की देनदारी को बढ़ाता है।
- क्षेत्रीय प्रभुत्व की प्रधानता:** राज्य मुख्य सामाजिक क्षेत्रों को मजबूती से संभालते हैं, जो स्कूली शिक्षा के खर्च का लगभग 75.2% वहन करने के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य और राज्य-स्तरीय खाद्य सप्लाय आवंटन का एक बड़ा हिस्सा वहन करते हैं।
- उप-इष्टतम (कम) जीडीपी आवंटन:** वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए संयुक्त केंद्रीय और राज्य आवंटन ₹24.20 लाख करोड़ (जीडीपी का 6.77%) था, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान जीडीपी का मात्र 1.89% था।

आवश्यक परिभाषाएँ (Essential Definitions)

- अधिकार-आधारित कल्याणकारी व्यवस्था (Rights-Based Welfare Regime):** एक शासन ढांचा जहाँ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच कानूनी अधिकार के रूप में दी जाती है, जो विवेकाधीन कार्यकारी परोपकार पर निर्भर रहने के बजाय राज्य के लिए न्यायसंगत (न्यायालय में चुनौती देने योग्य) वैधानिक दायित्व बनाती है।
- बिना शर्त नकद हस्तांतरण (Unconditional Cash Transfers):** लाभार्थियों के बैंक खातों में बिना किसी पूर्व शर्त या दायित्व के स्थानांतरित किया जाने वाला प्रत्यक्ष कल्याणकारी भुगतान, जिसका उद्देश्य तत्काल आय सहायता प्रदान करना और उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बढ़ाना है।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 293:** अनुच्छेद 280 केंद्रीय करों के ऊर्ध्वाधर (vertical) और क्षेत्रीय (horizontal) हस्तांतरण की सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग के गठन को नियंत्रित करता है, जबकि

अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों पर लगाए गए ऋण लेने की शक्तियों और राजकोषीय सीमाओं को विनियमित करता Default करता है।

- **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (भाग IV):** अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने, आय की असमानताओं को कम करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश देते हैं कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित के लिए हो।

निष्कर्ष (Conclusion)

राजस्व संग्रह और कल्याणकारी व्यय के बीच का अंतर भारत के सहकारी संघवाद में एक गहरे संरचनात्मक तनाव को उजागर करता है। मानव विकास और आर्थिक विकास को एक परस्पर सुदृढ़ चक्र में बदलने के लिए, केंद्र सरकार को अपनी राजकोषीय प्रतिबद्धताओं का विस्तार करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य के नेतृत्व वाला कल्याणकारी ढांचा असमान राजस्व वितरण के कारण बिखर न जाए।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II (राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था):** संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां; जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III (अर्थव्यवस्था):** सरकारी बजट; राजकोषीय संघवाद; समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले विषय।

9. भारत में भूल जाने के अधिकार का न्यायशास्त्र (Jurisprudence of the Right to Be Forgotten in India)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **डिजिटल गरिमा की मान्यता:** दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि "भूल जाने का अधिकार" (RTBF) सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 की मानवीय गरिमा और सूचनात्मक गोपनीयता (informational privacy) की संवैधानिक गारंटियों से निकलता है।
- **खुले न्याय (ओपन जस्टिस) को संतुलित करना:** यह निर्णय पूरे न्यायिक रिकॉर्ड को हटाने के बजाय विशिष्ट पक्षों के नामों को छिपाने या संपादित करने (मास्किंग या रेडैक्टिंग) का पक्ष लेकर व्यक्तिगत गोपनीयता को खुले न्याय के सिद्धांत के साथ संतुलित करता है।
- **आनुपातिकता परीक्षण (प्रोपॉर्शनेलिटी टेस्ट) लागू:** अदालत ने एक संरचित आनुपातिकता ढांचा स्थापित किया, जिसके तहत यह आवश्यक है कि डेटा प्रतिधारण (डेटा को बनाए रखना) एक वैध उद्देश्य को पूरा करे और किसी व्यक्ति को होने वाले नुकसान को जनता के जानने के अधिकार के साथ संतुलित किया जाए।
- **प्रवर्तन समय-सीमा और दायरा:** कानूनी डेटाबेस डी-इंडेक्सिंग (खोज परिणामों से हटाने के) आदेशों का पालन करने के लिए दो सप्ताह की सख्त समय-सीमा के अधीन हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल नाम-आधारित खोजों को प्रतिबंधित किया जाए जबकि मामले के तथ्य कीवर्ड के माध्यम से सुलभ रहें।

- वर्तमान कानून में वैधानिक कमियाँ:** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 की धारा 12 मिटाने का एक सीमित अधिकार प्रदान करती है, लेकिन इसमें न्यायिक अभिलेखागार (judicial archives) या पूरी तरह से कार्यात्मक प्रवर्तन बोर्ड के लिए स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है।
- संस्थागत स्तरीय ढांचा:** कानूनी विद्वानों ने एक स्तरीय व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रारंभिक विलोपन (erasure) अनुरोधों को संभालते हैं, विवादित मामले डेटा संरक्षण बोर्ड के पास जाते हैं, और न्यायिक संपादन (redactions) अदालत के दायरे में रहते हैं।

आवश्यक परिभाषाएँ (Essential Definitions)

- भूल जाने का अधिकार (Right to Be Forgotten):** किसी व्यक्ति का वह कानूनी अधिकार जिसके तहत वह अपने व्यक्तिगत डेटा या ऐतिहासिक डिजिटल पदचिह्नों (डिजिटल फुटप्रिंट) को सार्वजनिक खोज इंजनों से हटाने या डी-इंडेक्स करने की मांग कर सकता है, जब उसकी निरंतर पहुंच हानिकारक हो और उससे कोई सर्वोपरि सार्वजनिक हित न जुड़ा हो।
- खुला न्याय (Open Justice):** एक मौलिक कानूनी सिद्धांत जो यह निर्देश देता है कि संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक कार्यवाही, साक्ष्य और निर्णय पारदर्शी और सार्वजनिक रूप से सुलभ तरीके से संचालित और बनाए रखे जाने चाहिए।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 21:** गोपनीयता का अधिकार, जिसमें सूचनात्मक गोपनीयता और अपने डिजिटल आख्यान (नैरेटिव) को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है, को 'के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)' मामले में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक भाग के रूप में मान्यता दी गई थी।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a):** वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो सीधे तौर पर जनता के जानने के अधिकार और प्रेस की सार्वजनिक रिकॉर्ड प्रकाशित करने की स्वतंत्रता के साथ जुड़ता है, जिससे यह भूल जाने के अधिकार (RTBF) के लिए एक संवैधानिक प्रतिसंतुलन बनता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला भारत में डिजिटल गोपनीयता न्यायशास्त्र को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, खोज इंजनों (सर्च इंजनों) द्वारा तकनीकी अनुपालन, डीपीडीपी (DPDP) अधिनियम के तहत व्यापक नियमों की अधिसूचना और सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णायक फैसले के बिना, इस अधिकार की व्यावहारिक प्राप्ति को लगातार संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II (राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था):** मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा; निर्णय और संविधान का विकास; महत्वपूर्ण नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय।
- मुख्य विषय:** सूचनात्मक गोपनीयता बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डीपीडीपी अधिनियम 2023 की कार्यान्वयन चुनौतियाँ, और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सुरक्षा उपाय बनाने में न्यायपालिका की भूमिका।

10. बाह्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, युद्ध अपराधों के आरोप और 'ह्युमस ट्रेल'

(Extraterritorial Jurisdiction, War Crimes Allegations, and the 'Hummus Trail')

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- बाह्य-क्षेत्रीय कानूनी शिकायत:** ब्रुसेल्स स्थित 'हिंद रजब फाउंडेशन' (HRF) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, आप्रवासन ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन) और भारतीय पुलिस के पास एक आपातकालीन शिकायत दर्ज कर हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां मना रहे एक इजरायली सैन्य रिजर्व सैनिक एतान गिल्बोआ की गिरफ्तारी की मांग की।
- युद्ध अपराध के आरोप:** प्रस्तुत डोजियर (दस्तावेजों) में भू-स्थानिक (जियोलोकेटेड) सोशल मीडिया साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें आरोप लगाया गया कि सैनिक ने गाजा में अपनी सेवा के दौरान खान यूनिस और रफाह में आवासीय भवनों और नागरिक बुनियादी ढांचे के सुनियोजित विनाश में भाग लिया और उसका जश्न मनाया।
- 'ह्युमस ट्रेल' और तीउल गादोल:** आरोपी को ओल्ड मनाली और गोंदला गांव में ट्रैक किया गया था, जो 'ह्युमस ट्रेल' के लोकप्रिय केंद्र हैं—यह भारत भर में (कसोल, हम्पी और गोवा सहित) एक विशिष्ट यात्रा सर्किट है जहां हजारों युवा इजरायली सैनिक अनिवार्य सैन्य सेवा के बाद मानसिक तनाव कम करने (डीकंप्रेस होने) के लिए आते हैं।
- सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के सिद्धांत:** इस कानूनी कार्रवाई में सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार (यूनिवर्सल ज्यूरिस्डिक्शन) की अवधारणा का हवाला दिया गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत, हस्ताक्षरकर्ता देश मानवीय नियमों के गंभीर उल्लंघन के आरोपियों की तलाश करने और उन पर मुकदमा चलाने या उन्हें निर्वासित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
- संप्रभु प्रवर्तन में बाधाएं:** हालांकि भारतीय कानून बाह्य-क्षेत्रीय अभियोजन (मुकदमा चलाने) की अनुमति देते हैं, लेकिन घरेलू कानून में एक बड़ी प्रक्रियात्मक सीमा है: अदालतें केंद्र सरकार की स्पष्ट शिकायत या प्राधिकरण (मंजूरी) के बिना ऐसे अपराधों का औपचारिक संज्ञान नहीं ले सकतीं।
- वैश्विक मिसाल और द्विपक्षीय तनाव:** हालांकि चिली, ब्राजील और कनाडा की अदालतों ने गाजा संघर्ष की शिकायतों पर सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार को मान्यता दी है, लेकिन भारत में यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून प्रतिबद्धताओं और रणनीतिक द्विपक्षीय गठबंधनों के बीच गहरे तनाव को उजागर करती है।

आवश्यक परिभाषाएँ (Essential Definitions)

- सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार (Universal Jurisdiction):** अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत जो राष्ट्रीय अदालतों को गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों—जैसे कि युद्ध अपराध, यातना, या नरसंहार—के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, चाहे वह अपराध कहीं भी किया गया हो, आरोपी की राष्ट्रियता कुछ भी हो, या पीड़ितों की राष्ट्रियता कुछ भी हो।
- ह्युमस ट्रेल (Hummus Trail):** भारत भर में अत्यधिक केंद्रित पर्यटन स्थलों (जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल और हम्पी) के विशिष्ट नेटवर्क का वर्णन करने वाला एक बोलचाल का शब्द, जहां इजरायली सैन्य दिग्गज अपनी अनिवार्य सेवा से मुक्त होने के बाद अक्सर आते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम, 1960:** भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) को लागू करने वाला प्राथमिक विधायी पुल। धारा 3 के तहत, भारत के भीतर या बाहर कोई भी व्यक्ति जो सम्मेलनों के "गंभीर उल्लंघन" का कार्य करता है या उसे बढ़ावा देता है, वह अपनी राष्ट्रीयता या नागरिकता की परवाह किए बिना आपराधिक अभियोजन का भागीदार है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 51(c):** राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) में शामिल यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है, जो जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम के लिए नैतिक आधार प्रदान करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

हिंद रजब फाउंडेशन द्वारा दायर कानूनी याचिका घरेलू कानूनी प्रणालियों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर एक महत्वपूर्ण ध्यान लाती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के आदेशों का भारत की घरेलू वैधानिक आवश्यकता (जिसमें केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य है) के साथ अंतर्संबंध यह उजागर करता है कि सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग विदेश नीति की प्राथमिकताओं और रणनीतिक द्विपक्षीय कूटनीति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजव्यवस्था):** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव; कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली।
- मुख्य विषय:** अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) का कार्यान्वयन, जिनेवा कन्वेंशन अधिनियम 1960 की वैधानिक सीमाएं, संप्रभुता बनाम सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार, और पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत का रणनीतिक संतुलनकारी प्रयास।

11. भारत-इंडोनेशिया संयुक्त सांस्कृतिक विरासत बहाली परियोजना (India-Indonesia Joint Cultural Heritage Restoration Project)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- द्विपक्षीय संरक्षण परियोजना:** भारत और इंडोनेशिया ने योग्यकार्ता (Yogyakarta) में 9वीं शताब्दी के प्रम्बानन मंदिर परिसर (Prambanan Temple complex) में एक प्रमुख संयुक्त बहाली और संरक्षण पहल शुरू की है, जो सांस्कृतिक कूटनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।
- अग्रणी कार्यकारी एजेंसी:** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली अग्रणी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जो 218 पेरवारा (Pervara) सहायक मंदिरों के संरचनात्मक अवशेषों को बहाल करने पर केंद्रित 10-वर्षीय परियोजना (2026-2036) को निष्पादित करेगी।
- वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व:** मताराम साम्राज्य के तहत निर्मित, प्रम्बानन इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है, जो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें हिंदू त्रिदेव—शिव, विष्णु और ब्रह्मा के लिए ऊंचे गर्भगृह हैं।

- भू-राजनीतिक एकीकरण:** यह परियोजना भारत की "एक्ट ईस्ट" (Act East) नीति के ढांचे को मजबूती प्रदान करती है, जो रामायण और महाभारत के महाकाव्यों में निहित साझा सभ्यतागत संपर्कों को आधुनिक संस्थागत साझेदारियों में बदलती है।
- उन्नत तकनीकी मानचित्रण (मैपिंग):** इस बहाली में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें लिडार (LiDAR - लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) सेंसर, फोटोग्रामेट्रिक दस्तावेज़ीकरण और भूगर्भीय-जलवैज्ञानिक (geological-hydrological) परीक्षण शामिल हैं।
- दक्षिण-पूर्वी एशिया में पुराना रिकॉर्ड:** यह परियोजना दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारत की सफल विरासत बहाली के पदचिह्नों का अनुसरण करती है, जिसमें बोरोबुदुर मंदिर परिसरों में व्यापक ऐतिहासिक दस्तावेज़ीकरण शामिल है।

आवश्यक परिभाषाएँ (Essential Definitions)

- सभ्यतागत कूटनीति (Civilizational Diplomacy):** एक सॉफ्ट पावर (सौम्य शक्ति) विदेश नीति दृष्टिकोण जहां राष्ट्र-राज्य द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और आपसी विश्वास को बढ़ाने के लिए लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संबंधों का लाभ उठाते हैं।
- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Site):** यूनेस्को द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी रूप से संरक्षित एक मील का पत्थर या क्षेत्र, जिसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व के अन्य रूपों के लिए मान्यता प्राप्त है।

कानूनी और संवैधानिक ढाँचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 51(c):** राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) का हिस्सा, यह स्पष्ट रूप से राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है, जो अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय समझौतों के लिए वैचारिक आधार के रूप में कार्य करता है।
- प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958:** यह कानून भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के कार्य अधिदेश (वर्किंग मैंडेट) को नियंत्रित करता है, जिससे इसके विशेषज्ञों को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत अंतर्राष्ट्रीय विरासत संरक्षण समझौतों के लिए विशेष तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने की अनुमति मिलती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रम्बानन में संयुक्त बहाली भारत-इंडोनेशिया संबंधों को मानक रक्षा और समुद्री व्यापार मानकों से ऊपर उठाती है। साझा दक्षिण-पूर्वी एशियाई ऐतिहासिक विरासत की रक्षा में आर्थिक और वैज्ञानिक पूंजी निवेश करके, भारत हिंद-प्रशांत में गहरे रणनीतिक संरेखण को विकसित करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति का सफलतापूर्वक उपयोग कर रहा है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र I (भारतीय संस्कृति):** प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू; भौगोलिक सीमाओं से परे भारतीय कला और वास्तुकला का प्रसार (वृहत्तर भारत की अवधारणा)।
- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव; "एक्ट ईस्ट" नीति का ढांचा।

12. अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) रिपोर्ट विश्लेषण (All India Survey on Higher Education (AISHE) Report Analysis)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- नामांकन में महत्वपूर्ण वृद्धि:** भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में कुल छात्र नामांकन शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में बढ़कर 4.50 करोड़ हो गया, जो 2014-15 के 3.42 करोड़ से 31.5% की वृद्धि दर्शाता है।
- महिला भागीदारी में उछाल:** महिला छात्रों के नामांकन में पिछले दशक में 42.2% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई, जो 2014-15 के 1.57 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 2.24 करोड़ हो गई।
- बढ़ता सकल नामांकन अनुपात:** 18-23 आयु वर्ग के लिए राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात (GER) 2023-24 में 30 तक पहुंच गया, जिसमें महिला जीईआर स्वतंत्र रूप से बढ़कर 31.2 हो गया, जो राष्ट्रीय आधार रेखा (बेसलाइन) से अधिक है।
- सतत लैंगिक समानता सूचकांक:** लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) 2023-24 के लिए 1.08 है, जो लगातार सात वर्षों तक 1.0 से ऊपर बना हुआ है, यह दर्शाता है कि महिलाओं की भागीदारी व्यवस्थित रूप से पुरुषों की भागीदारी से आगे निकल रही है।
- हाशिए पर मौजूद समुदायों में वृद्धि:** 10 वर्षों की अवधि में, अनुसूचित जाति (SC) के लिए छात्र नामांकन में 51.4%, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 75.7% और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 60.2% का उछाल आया।
- स्टेम (STEM) समावेशी प्रगति:** विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में नामांकन 2023-24 में बढ़कर 1.02 करोड़ हो गया, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़कर 44% हो गई, जो एक दशक पहले 38.4% थी।

आवश्यक परिभाषाएँ (Essential Definitions)

- सकल नामांकन अनुपात - जीईआर (Gross Enrollment Ratio - GER):** शिक्षा क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला एक सांख्यिकीय उपाय जो संबंधित आधिकारिक आयु वर्ग की कुल जनसंख्या के सापेक्ष शिक्षा के एक विशिष्ट स्तर (यहाँ, उच्च शिक्षा के लिए 18-23 वर्ष की आयु) में नामांकित छात्रों का प्रतिशत निर्धारित करता है।
- लैंगिक समानता सूचकांक - जीपीआई (Gender Parity Index - GPI):** एक विशिष्ट शिक्षा स्तर तक पुरुषों और महिलाओं की सापेक्ष पहुंच को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामाजिक-आर्थिक सूचकांक, जहाँ 1.0 से अधिक का मान महिलाओं के पक्ष में असमानता को दर्शाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(3):** राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, जो महिला साक्षरता और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से सकारात्मक नीतियों के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है।

- **भारत के संविधान का अनुच्छेद 46:** राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) जो राज्य को जनता के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देने का आदेश देता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

नवीनतम एआईएसएचई (AISHE) डेटा भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में एक संरचनात्मक बदलाव को रेखांकित करता है, जो बड़े पैमाने पर महिलाओं और हाशिए पर मौजूद सामाजिक समूहों द्वारा संचालित है। एक स्वस्थ लैंगिक समानता सूचकांक के साथ स्टेम (STEM) में महिलाओं के बढ़ते पदचिह्न यह दर्शाते हैं कि दीर्घकालिक समावेशन नीतियां सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक मानव पूंजी निर्माण (human capital formation) में बदल रही हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II (सामाजिक न्याय और शासन व्यवस्था):** शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय; जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं।
- **मुख्य विषय:** महिला सशक्तिकरण, जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) का अनुकूलन, शैक्षिक समावेशिता के संकेतक, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत संरचनात्मक प्रगति के मानक।

